मरीज़ों के अधिकारों के चार्टर को तुरंत अपनाया जाए!

निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक मुनाफ़ाख़ोरी, नैतिक उल्लंघनों और मरीज़ों के शोषण के मामले भारत में बड़े पैमाने पर होते रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने निजी अस्पतालों और उनकी शोषणकारी प्रकृति को बेनकाब कर दिया है। इन ख़ामियों को दूर करने का यही सही समय है।

इस दिशा में एक ज़रूरी कदम है मरीज़ों के अधिकारों के चार्टर को अपनाया जाना और उसे लागू किया जाना। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बिनाह पर तैयार किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 अगस्त, 2018 को मरीज़ों के 13 अधिकारों वाले इस चार्टर को जारी किया और 2 जून, 2019 को इसे अपनाने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखा। इसके ज़रिये यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मरीज़ों और चिकित्सीय निकायों की आम शिकायतों का समाधान हो पाए। राज्य सरकारों द्वारा इसे अपनाया जाना अभी बाकी है।

अपने अधिकार हासिल करने का वक़्त आ गया है! अपने राज्य के विधायकों और सांसदों से इस चार्टर के अधिसूचित किये जाने का समर्थन करने की माँग करें।

एक मरीज़ की हैसियत से, आपके अधिकारों में शामिल है:

1. बीमारी की प्रकृति और कारण, प्रस्तावित जाँच, देखभाल, जटिलताओं और उपचार की लागत के बारे में **पर्याप्त और प्रासंगिक जानकारी** का अधिकार।

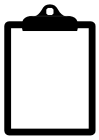

2. स्वास्थ्य सेवा केंद्र में उपलब्ध सभी जाँच, उपचार और सुविधाओं की **शुल्क दरों की जानकारी** का अधिकार। इन शुल्क दरों को स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में किसी ख़ास जगह पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

3. अपने मामले से जुड़े दस्तावेज़, मरीज़ रिकॉर्ड, जाँच रिपोर्ट और सिलसिलेवार, विस्तृत लिखित बिल की **एक कॉपी दिये जाने** का अधिकार।

4. किसी भी जाँच या उपचार से पहले **सूचित सहमति लिए जाने** का अधिकार। यह सहमति, उपचार या उसके प्रभाव (जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी) के बारे में डॉक्टर द्वारा रोगी या उनकी देखभाल करने वालों को, उन्हें समझ में आने वाली भाषा में पूर्ण जानकारी के खुलासे पर आधारित होनी चाहिए।

5. मरीज़ की पसंद के किसी अन्य चिकित्सक से **दूसरी राय लेने** का अधिकार, जिसके लिए उपचार कर रहे अस्पताल द्वारा सभी रिकॉर्ड और जानकारी उपलब्ध कराई जाएँ। ऐसा करने के बाद मरीज़ के वापस लौटने पर अस्पताल स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकता है।

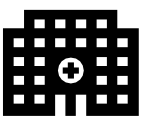

6. **उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता** का अधिकार। मरीज़ और उनकी देखभाल करने वालों के अलावा, अन्य लोगों से मरीज़ों की जानकारी को गोपनीय रखने के लिए डॉक्टर बाध्य हैं।

7. एक पुरुष चिकित्सक द्वारा किसी महिला रोगी की शारीरिक जाँच के दौरान **एक महिला की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने** का अधिकार।

8. एचआईवी संक्रमण होने के आधार पर उपचार और व्यवहार में **ग़ैर-भेदभाव** का अधिकार।

9. विकल्प उपलब्ध होने पर **वैकल्पिक उपचार चुनने** का अधिकार। उपचार के सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में मरीज़ को सूचित करना अस्पताल के कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी है।

10. **मरीज़ के मृत शरीर को उनके परिवार को सौंपे जाने** का अधिकार, जिससे अस्पताल किसी भी कारण से इनकार नहीं कर सकता है, जिसमें अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं किया जाना या उसके संबंध में विवाद होना भी शामिल है।

11. बीमारी, स्वास्थ्य स्थिति, लिंग, यौन अभिविन्यास, उम्र, धर्म, जातीयता, जाति और भाषाई या भौगोलिक/सामाजिक मूल के आधार पर **उपचार में गैर-भेदभाव** का अधिकार।

12. मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से पहले अस्पताल द्वारा **सूचित सहमति लिए जाने** का अधिकार।

13. मरीज़ को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने या किसी दूसरे अस्पताल ले जाने का अधिकार लेकिन '**तय भुगतान की भरपाई**' की ज़िम्मेदारी के साथ।

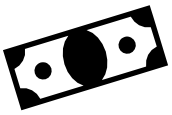

* * * * * * * * *

एक मरीज़ के रूप में आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं

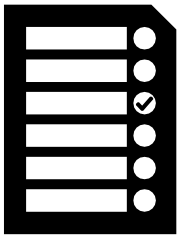

- सभी स्वास्थ्य-संबंधी जानकारी देना
- जाँच और उपचार के दौरान डॉक्टरों के साथ सहयोग करना
- सभी निर्देशों का पालन करना
- समय पर अस्पताल को तय शुल्क का भुगतान करना
- डॉक्टरों और अन्य अस्पताल के कर्मचारियों की गरिमा का सम्मान करना
- कभी भी हिंसा का सहारा न लेना

* * * * * * * * *

#व्यापार_नहीं_अधिकार के बारे में और जानने के लिए,
www.oxfamindia.org/campaigns/rightsoverprofits पर क्लिक करें या
77318 76318 पर एक मिस्ड कॉल दें।